

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना
(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संचिका संख्या रो.ऋण.-3-61/22 ९६४..... बी० एस० एम० एफ० सी०, /

दिनांक: ०६/०१/२०२३

स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2020-21 एवं 2021-22 अन्तर्गत सिवान जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित सूची सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, सिवान के पत्रांक-300 दिनांक-20.07.2022 के माध्यम से प्राप्त है। उक्त चयनित लघु ऋण क्र.सं-01 तक के आवेदकों का प्रमण्डलीय प्रभारी एवं सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, सिवान द्वारा त्रुटिहीन दस्तावेजीकरण एवं स्थल जाँच निष्पादित करा कर ऋण को स्वीकृति देने के लिए निगम मुख्यालय को भेजा गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान के द्वारा की गई अनुशांसा के आधार पर कुल 01 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाई गई राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक द्वारा दिये गये एजेन्सी बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

SI. No	चयन सूची क्र.सं०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Supplier Name & Address With Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Embossing Charge- 2030/-	Net Payable Amount
1.	02/430	ASHFAQUE AHMAD KHAN, W/o- MOFIZ AHMAD KHAN, Vill.- SHEKHPURA, Block-BASANTPUR, PS-BASANTPUR, PO-SHEKHPURA, Distt.- SIWAN-841406, Mob,9905461004	SIWAN TRACTORS PVT. LTD. Authorised Dealer For Mahindra Range Of Vehicles Branch-Thawe Road, Turkaha, Dhala, Gopalganj-841228 STATE BANK OF INDIA A/C:-32896818031 SBIN0001238	SCORPIO CLASSIC	500000	2500	2030	495470
TOTAL					500000	2500	2030	495470

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पतियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पतियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ज्ञापक:- रो.ऋण.-3-61/22 - ९४

प्रतिलिपि:-अशफाक अहमद खान, पिता-मोफीज अहमद खान, ग्राम-शेखपुरा, पोस्ट-शेखपुरा, थाना-बसंतपुर, प्रखण्ड-बसंतपुर, जिला-सिवान/को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

०६/०१/२३

०६-०१-२०२३
प्रबंध निदेशक

दिनांक:- ०६-०१-२०२३